न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 186 / 17 दायरा दिनांक 20.09.2017

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

रफीक शाह पुत्र रसीद शाह जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद — रेस्पोस्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

निर्णय दिनांक :— 31-7-2019

अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश करता है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अपीलान्ट को सर्वथा गलत तौर पर ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 15.07 बीघा किस्म चारागाह भूमि साल 2074 का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 08.06.2017 को अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत कर रहा है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अपीलान्ट को बिना किसी सूचना के अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट की गैर हाजरी में अपीलान्ट को जबाब सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया है सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 / 06 / 2017 को पत्रावली पर अपीलान्ट को विवादित आराजी का पश्चावर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य न होने के बाद भी सर्वथा गलत तौर पर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी नहीं किया है। अपीलान्ट एक छोटे से गांव का खेतीहर मजदूर है अपीलान्ट काश्तकारी का कोई काम नहीं करता है इस कारण अपीलान्ट द्वारा किसी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय का बना हुआ है जिसमें अपने पिता के साथ जन्म से निवास करता आ रहा है इस मकान के अलावा अपीलान्ट के पास ग्राम कस्बाथाना या अन्य किसी भी स्थान पर कोई नहीं है न ही अपीलान्ट ने किसी मकान का निर्माण किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानूनी बिन्दुओं पर निर्णय से पूर्व कोई ध्यान नहीं दिया है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व न मौका देखा न हीं कोई स्वतन्त्र साक्ष्य ली मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो विधि सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत होने योग्य से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा मनमाने तौर पर पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी जांच के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। प्रश्नगत निर्णय की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.09.2017 को पुलिस द्वारा गिरफतार करने की धमकी देने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी का उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही थी जानकारी होने के बाद प्रार्थी ने नकल निर्णय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 19.09.2017 का नकल मिलने पर यह अपील प्रस्तुत है

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 01/17 निर्णय दिनांक 08.06.17 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 15.07 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 50/– रूपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं,। साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ ही अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 449 की रिपोर्ट पटवारी में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। निर्णय रिपोर्ट में 15 बीघा भूमि बताया है जबकि निर्णय 386.323 वर्गफुट का किया है। अगर बेदखल कर दिया तो दुबारा मकान कहां से आया। यह मकान पूर्वजों के समय से है। नया अतिक्रमण नहीं है। अतः सजा निरस्त फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन करने व बहस अपीलान्ट सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट अतिक्रमी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है वह उचित है परन्तु प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अपीलान्ट को अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट यदि सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करादे एवं 15 दिवस की अवधि में कब्जा हटाले तो सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय का सिविल कारावास का आदेश भी यथावत रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: